निर्माणाधीन वैशाली नगर थाने के बगल ग्राउंड से 7 अवैध कब्जा धारियों को हटाया गया

भिलाईनगर। वैशाली नगर क्षेत्र शांति नगर में नया पुलिस थाना बनाया जा रहा है। जिसके चारों तरफ बाउंड्री वालों का निर्माण किया जाना है। आधे क्षेत्र में बाउंड्री वॉल का निर्माण हो गया है। थाने से लगे हुए मंदिर के समीप से लाइन से प्रस्तावित सड़क के ऊपर अवैध कब्जा कब्जाधारियों द्वारा नजूल के जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था। उसे क्षेत्र का सीमांकन शासकीय राजस्व निरीक्षक नगर निगम का भवन अनुज्ञा विभाग, एवं जोन राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सीमांकन किया गया। सीमांकन में अवैध कब्जा मिला। संबंधित कब्जा धारी को अपना कब्जा रिक्त करने के नोटिस दिया गया । किसी के द्वारा भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। जिसके कारण बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा था। उसी के समीप सर्विस रोड का निर्माण एवं नाल नाली निर्माण प्रस्तावित है। आज नगर निगम की टीम जोन आयुक्त ऐशा लहरे के देख रेख में पुलिस बल के सहयोग से 7 अवैध कब्जे को रिक्त करवाया। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगभग 3 से 4 हजार वर्ग फुट भूमि पर दीवाल निर्माण करके अवैध कब्जा कर लिया गया था। एक कब्जाधारी देवेंद्र कुमार अवैध कमरा बना करके उसे शबनम बानो को किराए पर दिया था। निगम की टीम जब वहां पहुंची तो वहां पर किराए पर रहने वाली महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा था। निगम के कर्मचारी एवं पुलिस बल के ऊपर डंडा लेकर हमला करने का भी प्रयास किया गया। कुछ महिलाएं पुलिस के साथ भी उलझ गई। एक महिला शबनम बानो एवं पुरुष को पकड़ के वैशाली नगर थाने गिरफ्तार करके पुलिस ले ले गई। उनसे पूछताछ करने के लिए। कार्रवाई के दौरान एक वर्ग विशेष की एक ही उम्र के लगभग की महिलाएं एकत्रित हो गई थी। यह भी जानकारी मिली है कि जिस मकान में रह थे मकान मालिक देवेंद्र कुमार द्वारा इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस विभाग के रिटायर्ड अधिकारी के अवैध कब्जे को थाना प्रभारिक अमित अदानी उपस्थिति में हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भवन अनुज्ञा अधिकारी अधिकारी अरविंद शर्मा, राजस्व अधिकारी शरद दुबे, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा, अभियंता श्वेता वर्मा, तोड़फोड़ प्रभारी हरिओम गुप्ता, जोन स्वच्छता निरीक्षक अंजनी सिंह, हरि ताम्रकार , मदन मोहन तिवारी, लोकेश बया, कृष्ण कुमार सुपेल, प्रतीक, समीर, शासकीय राजस्व निरीक्षक नरसिंह साहू , पुलिस विभाग के थाना प्रभारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में कार्रवाई की गई ।